"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 मार्च 2018 — फाल्गुन 16, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-4/2017/रास/यू.-1. — इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक/293/एफ 1-4/2017/रास/यू.-1 दिनांक 19-01-2018 द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु पेनल अनुशंसित करने के लिये छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) के अंतर्गत समिति का गठन किया गया है.

माननीय कुलाधिपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 (5) के प्रावधान के अंतर्गत समिति के पेनल प्रस्तुत किये जाने की अवधि में, एतद्द्वारा, चार सप्ताह की वृद्धि की गई है.

हस्ता./-

(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.